दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 30 जनवरी, 2024

इस मामले में:

रि.या. (सि.) 12189/2018 और सि.वि.आ. 47291/2018

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और अन्य .....याचीगण

द्वारा: श्रीमती अवनीश अहलावत, रा.रा.क्षे. के लिए स्थायी अधिवक्ता के साथ श्रीमती तानिया अहलावत, श्री नीतेश कुमार सिंह, सुश्री लावण्या कौशिक, सुश्री अलीज़ा आलम और श्री मोहनीश सहरावत, अधिवक्तागण

बनाम

सिद्धार्थ हांडा ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अनुज अग्रवाल और
सुश्री श्रेया कुकरेती, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय श्री न्यायमूर्ति श्री सुब्रामोनियम प्रसाद

निर्णय

1. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा फाइल सं. सीआईसी/डीएसएसएसबी/ए/2017/154364 और फाइल सं.

सीआईसी/एसए/ए/2016/901806 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2017 और 07.12.2017 को चुनौती देना चाहता है, प्रत्यर्थी द्वारा दायर आर.टी.आई. आवेदन का जवाब देने में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (इसके पश्चात "डीएसएसएसबी" के रूप में संदर्भित) के लोक सूचना अधिकारी (बाद में "पी.आई.ओ." के रूप में संदर्भित) की ओर से देरी हुई थी और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया है कि वह मांगी गई जानकारी प्रदान करने में मनमानी और अनुचित देरी के कारण प्रत्यर्थी को हुए नुकसान के लिए 3,00,000/- रुपए का मुआवजा दे।

2. संक्षेप में, वर्तमान रिट याचिका के लिए अग्रणी तथ्य यह है कि 2012 में, डीएसएसएसबी ने विज्ञापन संख्या 02/12 (इसके पश्चात "विचाराधीन पोस्ट" के रूप में संदर्भित) के तहत पोस्ट कोड 14/12 के तहत जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) के पद पर चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। उक्त विज्ञापन में 39 रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया था और आवेदन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.06.2012 थी। यह ध्यान देने योग्य है कि हालांकि विज्ञापन मैनुअल आवेदन पत्रों के लिए प्रदान किया गया था, लेकिन 2012 के अंत तक, उम्मीदवारों को ऑनलाइन मोड द्वारा से भी आवेदन करने की अनुमति दी गई थी।

3. यह कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के अन्य विभागीय उम्मीदवारों द्वारा विज्ञापित पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए अदालती मामले दायर किए गए थे, जिससे प्रक्रिया में देरी हुई।

4. यह कहा गया है कि परीक्षा आयोजित की गई थी और 251 उम्मीदवारों (जिसमें 234 नए उम्मीदवार और 17 विभागीय उम्मीदवार शामिल थे) को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया था। विभिन्न तिथियों पर साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। यह कहा गया है कि यहाँ प्रत्यर्थी का साक्षात्कार 25.03.2015 को आयोजित किया गया था।

5. यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी का नाम सिद्धार्थ हांडा के स्थान पर सिद्धार्थ मांडा के रूप में उल्लिखित किया गया था। यह कहा गया है कि साक्षात्कार के अंक बोर्ड द्वारा 08.04.2015 को घोषित किए गए थे। जब परिणाम घोषित किया गया, तो यहां प्रत्यर्थी का नाम फिर से सिद्धार्थ हांडा के स्थान पर सिद्धार्थ मांडा के रूप में उल्लिखित किया गया। यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी को अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत इस पद के लिए चुना गया था।

6. यह कहा गया है कि परिणामों की घोषणा के बाद, चयनित उम्मीदवारों के डोजियर को उपयोगकर्ता विभाग को दिनांक 15.09.2015 के पत्र के माध्यम से भेजने के लिए परियोजना और योजना शाखा को भेज दिया गया था। प्रत्यर्थी ने 01.09.2015 दिनांकित एक अभ्यावेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि उसके नाम में वर्तनी की त्रुटि थी।

7. प्रत्यर्थी ने अपने अभ्यावेदन की स्थिति के लिए 07.09.2015 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन भी दायर किया। 14.09.2015 को, बोर्ड के लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) ने अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थी के अभ्यावेदन को उप सचिव जांच और आई.टी. शाखा को भेज दिया।

8. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि, इस बीच, नाम में विसंगति के कारण प्रत्यर्थी के डोजियर सहित पांच डोजियर वापस कर दिए गए थे। विसंगतियों को दूर करने के लिए डोजियर को साक्षात्कार कक्ष को वापस कर दिया गया था। 01.01.2016 दिनांकित पत्र के माध्यम से, साक्षात्कार शाखा ने उम्मीदवारों के नाम में सुधार के प्रस्ताव की जांच करते हुए जांच शाखा से विसंगतियों पर उनकी टिप्पणियों के लिए अनुरोध किया था। यह कहा गया है कि जांच शाखा ने अपने दिनांकित 29.02.2016 नोट के माध्यम से बताया कि पोस्ट कोड 14/12 के ऑफ़लाइन आवेदन उनके पास उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, यह सुझाव दिया गया था कि या तो साक्षात्कार प्रकोष्ठ या सीसी-II शाखा उम्मीदवारों के नाम में सुधार के संबंध में एक शुद्धिपत्र जारी कर सकती है।

9. यह कहा गया है कि आई.टी. शाखा के द्वारा भी 07.03.2016 को मामले की जांच की गई थी, जिसमें उन्हें 16.07.2015 को आयोजित बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया गया था। बोर्ड ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम और अन्य विवरण केवल उन पोस्ट कोड के लिए ओ.ए.आर.एस. में बदले जाएंगे, जिनके लिए अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। बोर्ड ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि शेष सभी कोड के लिए सुधार परिणाम प्रसंस्करण शाखा द्वारा किए जाने थे। यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी के विवरणों में सुधार का प्रस्ताव मार्च, 2016 में आई.टी. शाखा द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे 15.07.2016 को अनुमोदित किया गया था और 26.07.2016 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था।

10. यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी ने अपने आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की क्योंकि याचिकाकर्ता के पी.आई.ओ. से कोई जवाब नहीं आया था। चूँकि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण भी प्रत्यर्थी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा था, इसलिए प्रत्यर्थी ने केंद्रीय सूचना आयोग से संपर्क किया। सी.आई.सी. ने कहा कि सी.पी.आई.ओ. की ओर से जानकारी प्रदान नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके पश्चात सी.आई.सी. ने सी.पी.आई.ओ. को कारण बताओ सूचना जारी की कि सी.पी.आई.ओ. पर सूचना प्रदान करने में देरी के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इसमें आक्षेपित आदेश द्वारा, सी.आई.सी. ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता की ओर से निष्क्रियता और अक्षमता के कारण, प्रत्यर्थी को कम से कम आठ से नौ महीने की अवधि के लिए प्रति माह लगभग 40,000/- रुपए का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। सी.आई.सी. ने यह भी माना कि प्रत्यर्थी को भी इसी अवधि में वरिष्ठता का नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए, सी.आई.सी. ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की ओर से मनमानी और अन्यायपूर्ण देरी के कारण प्रत्यर्थी को हुए नुकसान और क्षति के कारण 3,00,000/- रुपए का प्रतिकर करे। यह वह आदेश है जिसे याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पर प्रतिकर के रूप में 3,00,000/- रुपए का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि सी.पी.आई.ओ. प्रत्यर्थी की नियुक्ति में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं था। उनका कहना है कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति में देरी मुख्य रूप से परीक्षा शाखा द्वारा प्रत्यर्थी के नाम के सुधार में लिए गए समय के कारण हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि जानकारी प्रदान करने में देरी आर.टी.आई. अधिनियम के

तहत प्रतिकर की गणना करते समय किसी आवेदक को हुए नुकसान की गणना करने का एक उपाय नहीं हो सकता है।

12. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सी.आई.सी. के निर्णय का समर्थन करते हैं।

13. पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

14. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 19 (8) (ख) सी.आई.सी. को सूचना प्राप्त करने में देरी के कारण शिकायतकर्ता को हुए नुकसान और क्षति का प्रतिकर करने की शक्ति देती है। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 20 उस स्थिति में जुर्माने से संबंधित है जब लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा में जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 19 (8) (ख) (ग) और (घ) और धारा 20 निम्नानुसार हैः

> *" धारा 19 अपील*
>
> *.....*
>
> *(8) अपने निर्णय में, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को शक्ति है-*
>
> *.....*
>
> *(ख) सार्वजनिक प्राधिकरण से शिकायतकर्ता को हुई किसी भी हानि या अन्य क्षति के लिए प्रतिकर देने की मांग करना;*
>
> *(ग) इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी दंड को अधिरोपित करना;*
>
> *(घ) आवेदन को अस्वीकार करना।*
>
> *.....*
>
> *धारा 20 शास्ति*

(1) जहां केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, किसी शिकायत या अपील पर निर्णय लेते समय यह राय रखता है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ने बिना किसी उचित कारण के, सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने से इनकार कर दिया या धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर जानकारी प्रदान नहीं की या दुर्भाविनापूर्वक जानकारी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया या जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी दी या नष्ट कर दी, ऐसी जानकारी जो अनुरोध का विषय थी या जानकारी प्रस्तुत करने में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न की गई थी, आवेदन प्राप्त होने या जानकारी प्रस्तुत होने तक प्रत्येक दिन दो सौ पचास रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, हालांकि, ऐसे दंड की कुल राशि होगी पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को उस पर कोई जुर्माना लगाने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा:

बशर्ते कि यह साबित करने का भार कि उसने यथोचित और परिश्रमपूर्वक कार्य किया, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा, जैसा भी मामला हो।

(2) जहां केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, किसी शिकायत या अपील पर निर्णय लेते समय यह राय रखता है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, बिना किसी उचित कारण के और लगातार, सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने में विफल रहा है या धारा 7 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर जानकारी प्रदान नहीं की है या दुर्भाविनापूर्ण तरीके से जानकारी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है या जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी दी है या उस जानकारी को नष्ट कर दिया जो अनुरोध का विषय था या जानकारी प्रस्तुत करने में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न की, यह लागू सेवा नियमों के तहत, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

15. आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 19 के अध्ययन से पता चलता है कि सी.आई.सी. के पास सूचना की आपूर्ति में अनुचित देरी के मामले में प्रतिकर करने की शक्ति है। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 20 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना अधिरोपण से संबंधित है, यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने बिना किसी उचित कारण के सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने से इनकार कर दिया है या धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर जानकारी प्रस्तुत नहीं की है या जानकारी के लिए अनुरोध को दुर्भावनापूर्ण तरीके से अस्वीकार कर दिया है या जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक या नष्ट जानकारी दी गई है जो अनुरोध का विषय थी या जानकारी देने में किसी भी तरह से बाधित थी, तो यह आवेदन प्राप्त होने या जानकारी देने तक प्रत्येक दिन दो सौ पचास रुपए का जुर्माना लगाएगा। प्रतिकर देने का कारण प्रत्यर्थी को उसकी विलंबित नियुक्ति के कारण हुआ आर्थिक नुकसान है। इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के संबंध में जानकारी प्रदान करने में देरी उसकी नियुक्ति में देरी का कारण नहीं है। नियुक्ति में देरी मुख्य रूप से बोर्ड द्वारा प्रत्यर्थी के नाम में सुधार करने में लिए गए समय के कारण हुई थी। सी.पी.आई.ओ. अभिलेखों के सुधार से संबंधित नहीं है। प्रत्यर्थी की नियुक्ति में देरी अभिलेखों के सुधार के कारण हुई है और न कि सी.पी.आई.ओ. की ओर से जानकारी प्रदान करने में देरी के कारण। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सी.आई. सी. का तर्क कि प्रत्यर्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने में देरी के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी को आर्थिक नुकसान हुआ है, इसलिए इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

16. निस्संदेह, प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता को जानकारी प्रदान करने में देरी हुई है और सूचना प्रदान करने में देरी के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया कारण मान्य नहीं है

जिसके लिए सी.आई.सी. को आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 20 के तहत जुर्माना लगाना चाहिए था। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने में देरी के लिए लोक सूचना अधिकारी पर 20,000/- रुपए का जुर्माना लगाने का इच्छुक है।

17. तदनुसार, रिट याचिका का निपटान किया जाता है और 31.08.2017 और 07.12.2017 दिनांकित आदेशों को अपास्त किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटान किया जाता है।

सुब्रामोनियम प्रसाद, न्या.

30 जनवरी, 2024
राहुल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*